

- 1:- सम्पत्ति का प्रकार :-----
- 2:- वार्ड/परगना व तहसील :----- मुजफ्फरनगर
- 3:- मौहल्ला/ग्राम/सेगमेंट :----- ग्रीन एस्टेट फेस द्वितीय रकबा
ग्राम अलमासपुर बाहर हद्द
मुजफ्फरनगर जो किसी
सेगमेंट में नहीं है।
- 4:- क्षेत्र-ग्रामीण/नगरीय/
अर्द्धनगरीय :----- अर्द्धनगरीय
- 5:- सम्पत्ति का विवरण :-----
(आवासीय/व्यवसायिक/
गोदाम/कृषि) :----- आवासीय
- 6:- सम्पत्ति का क्षेत्रफल (भूमि)
(वर्गमीटर/हेक्टेयर) :----- वर्गमीटर
- 7:- सम्पत्ति की स्थिति (लिक/
जनपदीय/राज्य/राष्ट्रीय
मार्ग/सेगमेंट का नाम) :----- कोई नहीं है।
- 8:- कार्नर/दो/एक रास्ते का नाम :-----
- 9:- निकटतम नामित मार्ग का
नाम व दूरी :-----
- 10:- (क) सम्पत्ति का आच्छादित
क्षेत्रफल भूतल :-----
(ख) सम्पत्ति का आच्छादित
क्षेत्रफल प्रथम तल :-----
(ग) सम्पत्ति का आच्छादित
क्षेत्रफल द्वितीय तल :-----
निर्माण का प्रकार/श्रेणी :----- कोई नहीं है।
12:- पेड़ों का मूल्यांकन :----- कोई नहीं है।
13:- बोरिंग व अन्य :----- कोई नहीं है।
14:- निर्माण का वर्ष :----- कोई नहीं है।
15:- प्रतिफल/बाजार मूल्य :-----/- रूपये
16:- दिया गया स्टाम्प शुल्क :-----/- रूपये
17:- स्टाम्प देयता की गणना हेतु
प्रयुक्त दर :-----/- रूपये
दर से मालियत :-----/- रूपये
18:- रेट लिस्ट का क्रमांक, पृष्ठ,
कोड सं०, कॉलम :-----
19:- चौहद्दी/सीमांकन :----- प्रारूप सं० 2 वी कोड नं०
0119 में वर्णित है।

पूरब :-
पश्चिम :-
उत्तर :-
दक्षिण :-

20:— प्रथम पक्ष की सं० व मोबाईल नं० :-

21:— द्वितीय पक्ष की सं० व मोबाईल नं० :-

22:— सम्पत्ति तक पहुंचने का रूट चार्ट

संलग्न है अथवा नहीं :- -----।

23:— लेखपत्र के साथ संलग्नक

आवश्यक प्रपत्रों/साक्ष्यों का

विवरण

:- पहचान पत्र की प्रतिलिपि व

अन्य कागज

24:— विक्रेता जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है :-

ए. टू. जैड . डेवलपर्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कम्पनी आर. ओ. सी. कानपुर, उत्तरप्रदेश, रजिस्टर्ड आफिस. के-6 पल्लवपुरम फेस 2 मेरठ PAN AAHCA5452G द्वारा डायरेक्टर्स परमिन्दर तेवतिया पुत्र स्वर्गीय श्री ब्रजपाल सिंह निवासी बी 10 पल्लवपुरम फेस 1 मोदीपुरम मेरठ पासपोर्ट नं० J7521069 व देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री अतर सिंह निवासी ग्राम जडौदा परगना, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर पहचान पत्र नं० UP/82/408/042387 जिन्हें बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दिनांक 30-9-2012 में बैनामा निष्पादित करने के लिये अधिकृत किया हुआ है।

25:— क्रेता जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है :-

जो कि प्रथम पक्ष कम्पनी प्लॉट जिसका विवरण उक्त लिखित है की स्वामी द्वारा खरीद बैनामा से है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार आदि से स्वच्छ एवं मुक्त है। प्रथम पक्ष को इस सम्पत्ति को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। द्वितीय पक्ष इस सम्पत्ति को खरीद रहा है। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में अपनी हरप्रकार की तसल्ली कर ली है। अतः हर दो पक्ष अपनी समस्त इन्द्रियों व शरीर की स्वस्थ दशा में यह विक्रय पत्र लिखकर घोषित करते हैं कि प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति समस्त अधिकारों सहित न रखने बाकी किसी भी अधिकार के बाजार भाव के बदले अंकन -----/-रूपये कि आधे जिसके अंकन -----/-रूपये होते हैं, द्वितीय पक्ष को बेच दी है। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से समस्त विक्रयमूल्य

भी शेष नहीं रहा है विक्रित सम्पत्ति का कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मय जुमला हक व हकूक के अपने तुल्य सौंप दिया है। अब प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष का इस बेची गई सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं रहा है और न ही भविष्य में कोई वास्ता व ताल्लुक होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या प्रथम पक्ष के किसी वारिस की किसी दावेदारी से या किसी कानूनी कमी के कारण या किसी अन्य कारण से यह बेची गई सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जे में से निकल जावे या इस पर कब्जा प्रथम पक्ष के तुल्य न मिले तो ऐसी हर दशा में द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लेवे या वह अपना समस्त विक्रयमूल्य मय हर्जा खर्चा व रिवाजी ब्याज सहित प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे। इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष का हरप्रकार का उजर अमान्य होगा। उक्त प्लॉट में मकान का निर्माण करने समय द्वितीयपक्ष इस बात का ध्यान रखेंगे कि मकान का प्लीन्थ लेविल व रैम्प अन्य मकानों की तरह समान रहेगा और द्वितीयपक्ष रास्ते की तरफ छज्जे का अतिक्रमण नहीं करेंगे। और क्रेता किसी भी सूरत में अपने प्लॉट/भवन पर कोई भी पशु नहीं रखेंगे अर्थात् कालोनी में कोई भी क्रेता पशुपालन नहीं करेंगे जिससे कालोनी में गन्दगी पर रोकथाम लगी रहे। उक्त भूमि का ले आऊट क्रमांक छः सौ छियालीस सन दो हजार दस ई0 दिनांक सोलह मई सन दो हजार दस ई0 व परिवर्तित लेआऊट क्रमांक तीन सौ बासठ सन दो हजार ग्यारह ई0 दिनांक चार अक्टूबर सन दो हजार ग्यारह ई0 में स्वीकृत है। विक्रित सम्पत्ति सम्बन्धी आज से पूर्व की तमाम देनदारियां प्रथम पक्ष के जिम्मा होंगी और आज से बाद की तमाम देनदारियां बजिम्मा द्वितीय पक्ष होगी। उक्त कम्पनी पूर्व में प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी थी जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 44 के साथ पठित धारा 31/21 की शर्तों के अनुसार विधिवत आवश्यक विनिश्चय दिनांक 9-8-2012 ई0 में पारित होकर दिनांक 28-9-2012 ई0 में लिमिटेड कम्पनी बनाया गया है। विक्रित सम्पत्ति सम्बन्धित द्वितीय पक्ष से पहले कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा नहीं है। विक्रित प्लॉट में मौके पर कोई निर्माण नहीं है। विक्रित सम्पत्ति के पचास मीटर की त्रिज्या में आवासीय सम्पत्ति है।

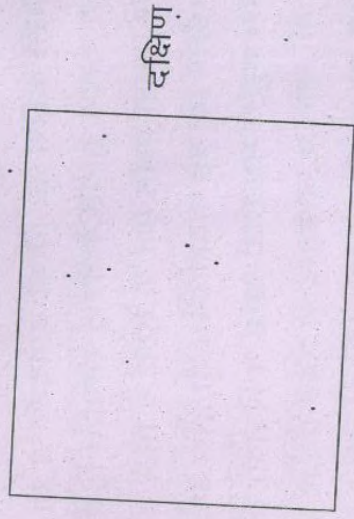
अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि सनंद हो और समय पर काम आवें।

विवरण: विक्रित सम्पत्ति स्थित ग्रीन एस्टेट फेस द्वितीय रंकबा ग्राम अलमासपुर, बाहर हद्द, परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर :-

जो भूमि खसरा नम्बर 241 में वाके हैं।

नक्शा नजरो सम्पत्ति संलग्न बैनामा

पूरब



उत्तर

पश्चिम

हम घोषित करते है कि विक्रित सम्पत्ति की पचास मीटर की त्रिज्या मे आवासीय सम्पत्तियां है ।
